प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

पैन कार्ड व फर्जी सिम/बैंक खाते खोलने वाले गिरोह के 02 और वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, साइबर थाना पुलिस टीम को मिली सफलता

दिनांक 18.09.2026

पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में धोखाधड़ी व साइबर अपराध में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मिश्रिख व साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 215/2026 में प्रकाश में आए 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण: पूर्व में दिनांक 26.08.2026 को थाना मिश्रिख क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खुर्शीदाबाद में ग्रामीणों से पैन कार्ड बनवाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड व बायोमेट्रिक का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से सिम कार्ड व बैंक खाते खोलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण में पंजीकृत मु0अ0स0 215/2026 धारा 3(5)/319(2)/318(4)/338/336(2)/340(2)/111 BNS व 66D IT Act में वांछित अभियुक्तों की लगातार तलाश की जा रही थी।

दिनांक 17.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना संजय कुमार पाण्डेय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कमुलिया क्रॉसिंग (अहरोली संपर्क मार्ग) के पास से फर्जीवाड़े में शामिल 02 शेष वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मोबाइल में धोखाधड़ी से संबंधित ऑनलाइन गेमिंग/एप्लीकेशन (Big Winner) के विवरण, मोबाइल नंबर व बैंक खातों का ब्योरा प्राप्त हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. **विकास कुमार** पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी- ग्राम फजलपुर, थाना माधोगंज, जनपद हरदोई।
2. **मंजेश पाल** पुत्र राजबहादुर निवासी- ग्राम सैदापुर कलां, थाना बघौली, जनपद हरदोई।

बरामदगी का विवरण:

- 01 अदद मोबाइल फोन (Vivo Y400 Pro, रंग हल्का गुलाबी/बैंगनी,

पंजीकृत अभियोग:

- **मु0अ0स0:** 215/2026
- **धाराएं:** 3(5)/319(2)/318(4)/338/336(2)/340(2)/111 BNS एवं 66D IT Act
- **थाना:** मिश्रिख, जनपद सीतापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय (साइबर थाना, जनपद सीतापुर)
2. हे0कां0 ओमप्रकाश मौर्य (साइबर थाना)
3. कां0 अमित कुमार (साइबर थाना)
4. कां0 (चालक) सुमित राघव (साइबर थाना)

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।